उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी में टैक्सी एवं छोटे भार वाहक वाहनों को किराये पर लेने हेतु पुनः ई–निविदा

एतद्द्वारा विश्वविद्यालय में टैक्सी व छोटे भार वाहक वाहनों को किराये पर लेने हेतु इच्छुक व पात्र संस्था/फर्म से निविदा में उपबंधित नियमों व शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन बोली के लिए पुनः ई–निविदा आंमत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता सुनिश्चित कर ले कि वह घोषित नियमों व शर्तों/प्रतिबंधों को पूर्ण करते हों। उक्त ई–निविदा के विस्तृत नियम, शर्तें एवं बोली प्रारूप, उत्तराखण्ड शासन के अधिकारिक पोर्टल www.uktenders.gov.in पर विज्ञापित/प्रकाशित की गयी है। निविदा विषयक सूचना विश्वविद्यालय की अधिकारिक वेबसाईट www.uou.ac.in पर भी प्रसारित की गयी है। चूंकि निविदा पूर्णतः ई–निविदा है, अतः इच्छुक फर्म, उत्तराखण्ड शासन के उक्त पोर्टल पर ही निविदा की अंतिम तिथि 19.12.2025 (समय सांय 05 बजे) तक बोली दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।

(सूर्य प्रताप सिंह)
अध्यक्ष–विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्रय समिति

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वैयक्तक अधिकारी, कुलपति, उ0मु0वि0वि0 को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
3. प्रभारी, आई0सी0टी0–उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी को इस आशय से कि उक्त ई–निविदा/विज्ञप्ति को उत्तराखण्ड शासन के अधिकारिक पोर्टल www.uktenders.gov.in पर विज्ञापित करने एवं निविदा सूचना विश्वविद्यालय वेबसाईट www.uou.ac.in पर भी नियत तिथिनुसार प्रसारित कराना सुनिश्चित करें।
4. नोडल अधिकारी, प्रचार–प्रसार प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी को इस आशय से कि उक्त निविदा/विज्ञप्ति को एक राष्ट्रीय स्तरीय एवं एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
5. गार्ड फाईल।

(सूर्य प्रताप सिंह)
अध्यक्ष–विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्रय समिति

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी(नैनीताल)

कार्यालय पता–नियर ट्रांसपोर्ट नगर, तीन पानी रोड, हल्द्वानी

पत्रांकः– 838 /ई–निविदा/2025–26 दिनांक 05 दिसम्बर, 2025

टैक्सी एवं छोटे भार वाहक वाहनों को किराये पर लेने हेतु पुनः ई–निविदा

एतद्द्वारा विश्वविद्यालय में टैक्सी व छोटे भार वाहक वाहनों को किराये पर लेने हेतु इच्छुक व पात्र संस्था/फर्म से निविदा में उपबंधित नियमों व शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन बोली के लिए ई–निविदा आंमत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता सुनिश्चित कर ले कि वह घोषित नियमों व शर्तों/प्रतिबंधों को पूर्ण करते हों। उक्त ई–निविदा के विस्तृत नियम, शर्तें एवं बोली प्रारूप, उत्तराखण्ड शासन के अधिकारिक पोर्टल www.uktenders.gov.in पर विज्ञापित/प्रकाशित की गयी है। निविदा सूचना विश्वविद्यालय की अधिकारिक वेबसाईट www.uou.ac.in पर भी प्रसारित की गयी है। चूंकि निविदा पूर्णतः ई–निविदा है, अतः इच्छुक फर्म, उत्तराखण्ड शासन के उक्त पोर्टल पर ही निविदा की अंतिम तिथि तक बोली दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा कार्यक्रम निम्नवत है–

ई–निविदा प्रकाशन की तिथि	–	06.12.2025 (समय प्रातः 10:00 बजे से)
ई–निविदा अपलोड/आवेदन की आंरभिक तिथि	–	06.12.2025 (समय प्रातः 10:00 बजे से)
ई–निविदा में प्रतिभाग करने की अंतिम तिथि	–	19.12.2025 (समय सांय 05.00 बजे तक)
निविदा शुल्क (गैर वापिसी योग्य)	–	रूपये 4000.00मात्र(जी.एस.टी. 18 प्रतिशत अतिरिक्त)
धरोहर राशि (ई0एम0डी0)	–	रूपये 125000.00 मात्र
निविदा को खोलने की तिथि	–	20.12.2025 (समय प्रातः 11:00 बजे)

(सूर्य प्रताप सिंह)
अध्यक्ष–केन्द्रीय क्रय समिति

टैक्सी व छोटे भार वाहक वाहनों को किराये पर लेने हेतु ई–निविदा के नियम व शर्तें

खण्ड–1

निविदा सूचना

1. विश्वविद्यालय अपनी आवश्यकतानुसार टैक्सी व छोटे भार वाहक वाहनों को किराये पर लेने हेतु ई–निविदा, उत्तराखण्ड शासन के अधिकारिक पोर्टल www.uktenders.gov.in पर आंमत्रित करती है। उक्त निविदा दो बोली प्रस्ताव (प्रथम–तकनीकी बोली एवं द्वितीय–वित्तीय बोली) पर आंमत्रित की गयी है। उक्त निविदा 03 वर्षों की अवधि तक के लिए विज्ञापित की गयी है। प्रारंभिक रूप में वाहनों को किराये पर लेने की संविदा अवधि, अनुबंध की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी। यदि संविदाकार की सेवायें संतोषप्रद रही, तो संविदा अवधि, समान दरों और शर्तों (प्रासंगिक नियम/कानूनो की सीमा तक) के आधार पर आपसी करार से निविदा की वैध अवधि तक विस्तारित की जा सकेगी। इच्छुक सेवा प्रदाता, निविदा नियमों व शर्तों के अनुरूप अपनी बोली www.uou.ac.in पर प्रस्तुत कर सकते हैं। बोली अन्य किसी भी माध्यम से एवं निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत स्वीकार नहीं की जायेगीं।

2. तकनीकी बोली के साथ निविदा में निर्धारित निविदा शुल्क (जी0एस0टी0 अतिरिक्त देय) एवं धरोहर राशि (ई0एम0डी0), जो कि अनिवार्य रूप में जमा की जानी है, को वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के पक्ष में ऑनलाईन भुगतान के माध्यम से जमा किया जा सकता है। इस हेतु बैंक विवरण निम्नवत है– **भारतीय स्टेट बैंक–कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी, खाता संख्या–30617837388, आई0एफ0एस0सी0 कोड–एस.बी.आई.एन 0005100, खाता धारक– उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।**

3. तकनीकी बोली, निर्दिष्ट प्रारूप–1 (वांछित दस्तावेजों सहित) एवं वित्तीय बोली, निर्दिष्ट प्रारूप–2 में प्रस्तुत की जानी अनिवार्य है। निविदादाता को सुसंगत छूट/प्राथमिकता उत्तराखण्ड शासन के क्रय वरीयता नियमों के आधार पर ही दी जायेगी।

4. तकनीकी बोली विश्वविद्यालय द्वारा गठित निविदा समिति द्वारा बोलीदाताओं के सम्मुख, यदि कोई हो, खोली जायेगी। निविदा में प्रस्तुत बोलियों को निर्धारित तिथि में खोला जायेगा। यदि किसी कारणवश ऐसा न हो, तो अगले कार्यदिवसों पर बोलियों को खोला जायेगा।

5. निविदाकार की कोई भी शर्त, बोली में नहीं मान्य होगी। विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह बिना किसी कारण बताये एक या एकाधिक निविदाओं को निरस्त कर सकेगा अथवा निविदा के सम्बन्ध में शर्तों की व्याख्या एवं अंतिम निर्णय लेगा।

6. बोली में वांछित अभिलेख पूर्ण रूप में स्पष्ट एवं पठनीय होने आवश्यक है, ऐसा न होने पर प्रस्तावक का अनुरोध अस्वीकार कर दिया जायेगा।

खण्ड–2

सामान्य नियम व शर्तें

7. निविदाकार के पास निविदा जमा करते वक्त अपने मालिकाना हक/स्वामित्वाधीन कम से कम 01 वैध व्यावसायिक वाहन, जो टैक्सी या छोटे भारवाहक वाहन (एल0पी0जी0/सी0एन0जी0 गैस पर संचालित न हो) हो, का होना अनिवार्य है।

8. यदि विश्वविद्यालय को एक ही समय में जितनी भी संख्या में वाहनों की जरूरत होगी तो निविदादाता को इसकी व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। इसकी पुष्टि हेतु सम्बन्धित निविदाकार को अपने फर्म के लेटरहैड में अभिवचन देना होगा।

9. विश्वविद्यालय के पास अधिकार होगा कि वह सेवाप्रदाता के कार्यालय का अपनी सुनिश्चितता के लिए निविदा प्रक्रिया के दौरान या अनुबंध अवधि में आवश्यकतानुसार भौतिक सत्यापन कर सकेगा।

10. निविदाकार के पास शासकीय संस्थानों/कार्यालयों में वाहनों की व्यावसायिक सेवा उपलब्ध कराये जाने का न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।

11. निविदाकार का व्यावसायिक टर्नओवर पिछले तीन सालों में कम से कम 50 लाख रूपये या उससे अधिक हो।

12. वाहनों की उपलब्धता, 24×7 अवधि में परिवहन विभाग से अनुमत कमर्शियल लाईसेंस धारक वाहन चालकों (जिन्हें न्यूनतम 03 वर्ष का पहाड़ी व मैदानी, दोनों क्षेत्रों में वाहन चालन का अनुभव हो एवं साथ ही व्यावहारिक हो) के साथ होनी अनिवार्य है। वाहन चालकों के अनुभव/व्यवहार

की सुनिश्चितता तकनीकी मूल्यांकन में न करते हुए सम्बन्धित निविदाकार से अनुबंध होने पर कार्य के दौरान किया जायेगा।

13. वाहनों का उपयोग प्रदेश के भीतर या प्रदेश से बाहर किसी भी स्थान पर सामग्री सहित यात्रा के लिए किया जायेगा।
14. निविदाकार के पास वैध जी0एस0टी0 पंजीकरण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अनिवार्य स्वामित्वधीन वाहन का फिटनेस प्रमाण, संगत परमिट, बीमा (चालक व यात्री को सम्मिलित कर), रोड़ टैक्स जमा होने के प्रमाण, प्रदूषण मुक्त वाहन का सत्यापन आदि का विवरण तकनीकी बोली के प्रारूपानुसार वांछित दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसका तकनीकी मूल्यांकन नियमानुसार किया जायेगा।
15. किराये की दरों (जी0एस0टी0 को छोड़कर) का उद्धरण वित्तीय बोली में भरी जानी है, जिसमें जी0एस0टी0 को छोड़कर सभी प्रकार के कर समाहित होंगें। वित्तीय बोली में एल–1 का निर्धारण प्रारूप–2 में प्रत्येक निर्धारित वाहन के लिए अलग–अलग उदृत न्यूनतम दर के आधार पर किया जायेगा। एक से अधिक निविदादाताओं से एल–1 दर प्राप्त होने पर सम्बन्धित निविदाकारों को निविदा अवार्ड देते हुए आवश्यकतानुसार सूचीबद्ध किया जायेगा। ऐसी स्थिति में अनुबंध के दौरान नियत सुरक्षा राशि को अनुपातिक रूप में लिया जायेगा। सामान्यतः संविदाकार को प्रदत्त सेवा का भुगतान, निविदा में अवार्ड एल–1 दर प्रति किलोमीटर के अनुसार उसकी वास्तविक यात्रा के आधार पर होगा। भविष्य में हितों में कोई टकराव न हो, इस हेतु प्रतिदित न्यूनतम यात्रा दूरी की मात्रा 200 किलोमीटर निर्धारित की गयी है। यदि किसी दिवस पर वास्तविक यात्रा, न्यूनतम यात्रा दूरी से कम होती है, तो उस स्थिति में उस दिन के लिए यात्रा की दूरी न्यूनतम 200 किलोमीटर होगी, किन्तु उक्त न्यूनतम दूरी का भुगतान उस दिन में 08 घण्टे से अधिक समयावधि के लिए वाहन के प्रयोग/इंगेज होने पर ही देय की जायेगी, अन्यथा 08 घण्टे से क्रम अवधि पर वास्तविक यात्रा किलोमीटर का ही किराया देय होगा। वित्तीय बोली में असंगत तथ्य या शून्य दरें प्रस्तुत करने पर प्रस्तावक की बोली को निष्क्रिय घोषित करते हुए निरस्त कर दी जायेगी।
16. सफल बोलीदाता/बोलीदाताओं, जिन्हें निविदा अवार्ड की जायेगी, की धरोहर राशि (ई0एम0डी0) निविदा की शर्तों के अनुरूप, अनुबंध करने के उपरांत ही वापिस की जायेगी एवं शेष अन्य सभी निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि, सफल बोलीदाताओं को अवार्ड होने पर वापिस कर दी जायेगी। धरोहर राशि पर निविदाकर्ता को कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
17. जमा धरोहर राशि (ई0एम0डी0) को निम्नलिखित स्थितियों में जब्त किया जा सकेगा–
    - यदि निविदाकार बोली प्रस्तुत करने की अंतिम अवधि के उपरांत बोली में कोई छेड़छाड़ या अवार्ड के बाद अनुबंध न करना या अनुबंधान्तर्गत, यदि नियत सुरक्षा राशि जमा नहीं करता है या वित्तीय बोली में अंसगत/शून्य दरें प्रस्तुत करें या फिर प्रस्तुत सूचना/प्रमाणपत्र/दस्तावेज, किसी भी स्तर पर गलत एवं भ्रामक पाया जाए, जिससे विश्वविद्यालय को अपनी गतिविधियों/प्रक्रियाओं में हानि हो।
18. किराये पर लिये गये सभी वाहनों का अनुरक्षण अथवा रखरखाव पूर्णतः निविदादाता द्वारा किया जायेगा। स्पष्ट किया जाता है कि इस हेतु विश्वविद्यालय से अवार्ड एल–1 दरों के अतिरिक्त कोई भी प्रतिपूर्ति राशि प्रदान नहीं की जायेगी।
19. विश्वविद्यालय के पास यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताए किसी निश्चित वाहन को कार्य में लेना स्थगित कर दें।

खण्ड–3
निविदा दस्तावेजों में संशोधन

20. निविदा संशोधन की स्थिति में आवश्कयतानुसार सूचना उत्तराखण्ड शासन के उक्त पोर्टल/विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रसारित की जायेगी। ये संशोधन सभी संभावित निविदाकारों पर बाध्यकारी होगी।

खण्ड–4
संविदा के नियम व शर्तें

21. निविदा में अवार्ड सेवाप्रदाता फर्म को विश्वविद्यालय के साथ अनुबंध गठन करना अनिवार्य होगा। अनुबंध में ऐसी अन्य शर्तों को भी समाहित किया जा सकेगा, जो उक्त निविदा की शर्तों में उल्लिखित न हो।

22. किराये की अवधि के दौरान अधिग्रहित वाहन, पूर्णतः उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के नियंत्रण में होगा।

23. वाहनों का संचालन, रखरखाव व अनुरक्षण हेतु सभी प्रकार के खर्च यथा ईधन, ल्युब्रीकेन्ट्स, चालकों का वेतन, टोल टैक्स व चुंगी/करों आदि के भार का वहन निविदाकार को करना होगा। वाहन चालक ईधन भरवाने, पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स, रहने–खाने व आवागमन आदि चुकान के लिए पर्याप्त राशि अपने पास रखेगें, इस प्रकार के खर्चों की प्रतिपूर्ति संविदाकार द्वारा करनी होगी। इसकी कोई भी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय पर नहीं होगी।

24. वाहन में सुसज्जित अग्निशामक यंत्र एवं जी0पी0एस0 होना अनिवार्य है। इसे कार्य के दौरान सुनिश्चित किया जायेगा।

25. चालक सुशिक्षित होने चाहिए तथा उन्हें पहाड़ी व मैदानी दोनों क्षेत्रों में वाहन चालन का कार्य करना होगा। चालकों के आचरण हेतु निविदाकार पूर्णतः जिम्मेदार होंगे और किसी भी समय यदि कोई भी चालक विश्वविद्यालय के विरूद्ध कोई भी कार्य करता हुआ पाया जाता है तो उस चालक पर कानूनी कार्रवाई करते हुए लौटा दिया जाएगा और उसके बदले किसी अन्य चालक को रखा जाएगा। इस हेतु कोई अतिरिक्त राशि विश्वविद्यालय द्वारा नहीं दी जायेगी।

26. सेवाप्रदाता कोई भी ऐसा वाहन उपलब्ध नहीं करायेगा, जो एल0पी0जी0/सी0एन0जी0 गैस पर संचालित होता हो।

27. सेवाप्रदाता को वाहन उपलब्ध कराते समय वाहन की स्थिति एवं चालक की पूर्ण जानकारी, जैसा विश्वविद्यालय सुनिश्चित करे, उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।

28. सेवाप्रदाता को सभी वाहन पूर्णतः परिवहन विभाग के नियमानुसार उपलब्ध कराने होगें।

29. किसी भी वाहन के ब्रेकडाउन हो जाने पर निविदाकार को बिना किसी अतिरिक्त मूल्य के किसी भी स्थिति में समान प्रकार का दूसरा वाहन मुहैया कराना अनिवार्य होगा। यदि वाहन निर्धारित निर्देशों के अनुरूप उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो विश्वविद्यालय, निविदाकार/संविदाकार पर अर्थदण्ड लगायेगा अथवा ऐसी कार्रवाई, जो विश्वविद्यालय उचित समझे, कर सकेगा।

30. किसी भी दुर्घटना की स्थिति में यह संविदाकार या उनके प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होगी कि वह पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायें एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भी दें। सभी आर0टी0ओ0 मामले तथा ट्रैफिक उल्लघंन के मामले की जिम्मेदारी संविदाकार की होगी।

31. यदि चालक असुरक्षित ड्राईविंग करता हुआ पाया जाता है तो विश्वविद्यालय के पास यह अधिकार होगा कि वह ऐसे चालक पर कार्रवाई करते हुए उनके वैध व्यावसायिक लाईसेंस को रद्द करने की संस्तुति सम्बन्धित विभाग को भेजेगा। साथ ही संविदाकार पर भी यथोचित कार्यवाही कर सकेगा।

खण्ड–5

संविदा की समाप्ति

32. विश्वविद्यालय, बिना किसी पूर्वाग्रह के संविदा के उल्लघंन की स्थिति में संविदा को पूर्णतया या आंशिक रूप में समाप्त कर सकती है।

33. यदि संविदाकार किसी या सभी वाहनों को संविदा में निर्धारित समायावधि के भीतर उपलब्ध कराने में असफल होता है या संविदाकार संविदा के तहत अन्य किन्हीं बाध्यताओं को पूरा करने में असफल होता है तो ऐसी स्थिति में संविदा समाप्त की जा सकेगी। इस हेतु 15 दिन का नोटिस लिखित में विश्वविद्यालय द्वारा बिना किसी कारण बताए जारी कर सकता है।

34. संविदा के किसी भी स्तर पर सेवाप्रदाता द्वारा उल्लघंन करने की स्थिति में विश्वविद्यालय सेवाप्रदाता के खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जो विश्वविद्यालय हित में हो। इसके अन्तर्गत देयकों में अनुबंधानुसार कटौती, सुरक्षा राशि का जब्तीकरण, ब्लैक लिस्टेड करने जैसी आदि कार्यवाही की जा सकती है।

35. निविदा या संविदा के तहत होने वाले वाद–विवाद में भारतीय प्रासंगिक कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी एवं हल्द्वानी न्यायिक क्षेत्र होगा।

(सूर्य प्रताप सिंह), अध्यक्ष–केन्द्रीय क्रय समिति

प्रारूप–01

टैक्सी व छोटे भार वाहक वाहनों को किराये पर लेने हेतु पुनः ई–निविदा के तकनीकी मूल्यांकन मानकों का विवरण

क्र0 सं0	तकनीकी मानक	संलग्न/उदृत विवरण	संलग्नक का क्रमांक
1	निविदादाता/फर्म/कंपनी का नाम		–
2	निविदादाता/फर्म/कंपनी का अधिकारिक पता		–
3	अधिकारिक मोबाईल नम्बर		–
4	अधिकारिक ई–मेल आई0डी0		–
5	निविदादाता/फर्म का जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र		1
6	निविदादाता/फर्म/कंपनी का पैन/टेन नम्बर		2
7	निविदा शुल्क जमा करने का विवरण		3
8	धरोहर राशि (ई0एम0डी0) जमा करने का विवरण		4
9	निविदाकार/फर्म का एकसाथ, एक समय में विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार व्यावसयिक वाहन उपलब्ध कराने का अभिवचन (फर्म के अधिकारिक लेटरहैड में उदृत हो)		5
10	किसी भी शासकीय संस्थान से ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का अभिवचन, रूपये 100.00 मात्र के स्टाम्प पत्र पर (प्रारूपानुसार)		6
11	शासकीय संस्थानों में व्यावसायिक वाहन सेवा उपलब्ध कराने का न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र		7
12	निविदादाता के मालिकाना/स्वामित्वधीन न्यूनतम 01 टैक्सी या छोटे भार वाहक वाहन का स्वामित्व प्रमाण (आर0सी0), फिटनेस, परमिट, रोड़ टैक्स जमा, वाहन बीमा, प्रदूषण मुक्त का विवरण (प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करें)		8
13	निविदादाता/फर्म के विगत तीन वर्षों में कम से कम कुल रूपये 50.00 लाख मात्र का टर्नओवर (सी0ए0 से प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	वर्ष 2022–23	9
		वर्ष 2023–24	10
		वर्ष 2024–25	11
14	निविदादाता/फर्म के अंतिम तीन वर्षों में आयकर रिटर्न जमा करने का विवरण (प्रमाण संलग्न करें)	वर्ष 2022–23	12
		वर्ष 2023–24	13
		वर्ष 2024–25	14

निविदादाता के हस्ताक्षर व मोहर

प्रारूप–02

टैक्सी व छोटे भार वाहक वाहनों को किराये पर लेने हेतु पुनः ई–निविदा के वित्तीय मूल्यांकन मानकों का विवरण

क्र0 सं0	वाहन का नाम व प्रकार	न्यूनतम दर (रूपये प्रति किलोमीटर, जी.एस.टी. छोड़कर)
1	इनोवा कार	
2	अर्टिगा कार	
3	बोलेरो कार	
4	स्वीफ्ट डिजायर कार	
5	महिन्द्रा/टाटा पिक अप (यूटिलिटी) भार वाहक वाहन	
6	टाटा ऐस (छोटा हाथी) भार वाहक वाहन	

नोटः–न्यूनतम दर प्रति किलोमीटर में दरें, जी0एस0टी0 को छोड़कर उदृत करें। यदि अंको व शब्दों में उदृत की गयी दरों की दशा में किसी भी प्रकार की विसंगति होती है, तो निविदाकर्ता की शब्दों में अंकित दरें ही मान्य होगीं।

निविदादाता के हस्ताक्षर व मोहर (पूर्ण पता सहित)

PROFORMA FOR NON BLACKLISTING AFFIDAVIT
(To be submitted on Rs. 100/- Non Judicial Stamp Paper)

UNDERTAKING

I/we do hereby declare that our firm is not blacklisted or debarred or prohibited by Government of Uttarakhand / Government of India or any State Government / Board / Universities, since inception of the firm/company, and no enquiry is pending against my/our firm/company and no criminal case is pending against the firm/company.

It is also promised that the information submitted in the bid is true and free from errors. It will not sell the material in the open market and will send the material for recycling to the same factory or mill as promised in the bid.

I further undertake and understand that if above declaration proves to be wrong / incorrect or misleading, our tender / contract stands to be cancelled / terminated.

Signature of Authorized Person

Name and Seal of the Firm

Date: ____ / ____ / 2025

Contact Number: ___________